Transfer Deed.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible], झाँसी

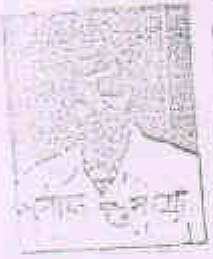

(1)

[illegible] मूल्यांकन सूची के भाग-4 (क-1) (IV) के पृ[illegible]
[illegible] में लिखित सड़क एवं आबादी से 200 मीटर [illegible]
[illegible] की दर 90,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर वाके मौजा डडियापुरा [illegible]
[illegible] तहसील व जिला झाँसी।

[illegible]	- 2,08,000/-
[illegible]	- एक्सचेंज डीड (तबादलानामा)
[illegible] प्रकार	
[illegible] महोदय द्वारा निर्धारित [illegible] सूची के अनुसार मूल्य	- 29,61,000/-
[illegible]	- डडियापुरा
[illegible]	- बड़ागाँव
[illegible]	- कृषिकीय
[illegible] का प्रकार	

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

माप की इकाई – हेक्टेयर

सम्पत्ति का क्षेत्रफल – सेड्यूल (A) – 0.194 हेक्टेयर अथवा सम्पूर्ण हिस्सा
सेड्यूल (B) – 0.329 हेक्टेयर अथवा सम्पूर्ण हिस्सा

सम्पत्ति की स्थिति – तरमीमशुदा आराजी सड़क से लगी हुई ना आबादी = 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत स्थित है।

पेड़ों का मूल्यांकन – कोई पेड़ नहीं है।

बोरिंग/कुआँ/अन्य – कोई कुआँ नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या – दो

द्वितीय पक्ष की संख्या – एक

प्रथम पक्ष का विवरण – श्री मनोज कुमार सोनी पुत्र श्री [illegible] निवासी–18/बी, पुरानी नझाई बाजार, झाँसी [illegible] (ड्राइविंग लाइसेंस नं. 4023) व रवि कुमार सोनी पुत्र श्री अशोक कुमार सोनी निवासी–18/बी, पुरानी नझाई बाजार, झाँसी [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

मानवेन्द्र पता द्वितीय पक्ष– श्री शश्य मंगलम रियलटर्स प्रा0लि0, 79 डी–4, विभव अपार्टमेन्ट, न्यू आगरा जिला आगरा द्वारा प्रतिनिधि ललित मोहन पाराशर पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त पाराशर निवासी–166, टकसाल, मानिक चौक, शहर व जिला झाँसी (पहचान, पेनकार्ड सं. ARWPP6332M)

सम्पत्ति का विवरण :–

सेड्यूल (A) आराजी भूमिधरी वाके मौजा डड़ियापुरा ब्लाक बड़ागाँव परगना व जिला झाँसी जिसका खाता सं. 00196 आराजी नम्बर 161/3 रकवा 0.283

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

A 691231

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

हेक्टेयर व आराजी नं. 162 रकबा 0.065 हेक्टेयर कुल 2 किता रकबा 0.348 हेक्टेयर में से रकबा 0.194 हेक्टेयर अपना सम्पूर्ण हिस्सा हस्तान्तरित किया गया है। तबादलाशुदा आराजी में प्रथम पक्ष का कोई भी अंश शेष नहीं बचा है। तबादलाशुदा आराजी सड़क से लगी हुई एवं आबादी से 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत स्थित है। दस्तावेज हाजा के साथ तबादलाशुदा आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें तबादलाशुदा आराजी नम्बरान रंग लाल से दर्शाये गये है, जो तबादलानामा (एक्सचेंज डीड) का अंग भाग है। तबादलाशुदा आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं है विशुद्ध कृषिकीय है। तबादलाशुदा आराजी में कोई पेड़, कुआँ आदि नहीं है। तबादलाशुदा आराजी राकर लिखित है। तबादलाशुदा आराजी का नया लगान 4 रुपया 20 पैसा सालाना है। तबादलाशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। शड्यूल (A) में

প্রথম পক্ষ

Registration No. | Year 2010 | Book No.

0101

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वर्णित सम्पत्ति [illegible] श्री मनोज कुमार सोनी व रवि कुमार सोनी [illegible] [illegible]
प्रथम पक्ष ने जरिये [illegible] दिनांक 20-03-2008 ई0 श्री भैयालाल पुत्र श्री [illegible]
खरीदी की थी जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झाँसी में बही नं. [illegible] जिल्द सं. 3427
के पृष्ठ सं. 135 / 154 पर क्रम संख्या 1071 दिनांक 20-03-2008 ई0 दर्ज है। उक्त [illegible]
ने अकृषक भूमि की घोषणा यू0पी0 जेड0ए0 एण्ड एल.आर. एक्ट की धारा 143 की घोषणा
नहीं हुई है। तहसील सदर के राजस्व अभिलेखों में एवं झाँसी विकास प्राधिकरण के
अभिलेखों में भी तथा [illegible] भूमि कृषिकीय भूमि के रूप में दर्ज है। एवं वर्तमान में खेती हो
रही है एवं विक्रयशुदा [illegible] में किसी भी प्रकार की आबादी नहीं है।
[illegible] (A) में वर्णित सम्पत्ति की श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन
सूची के अनुसार मूल्य 17,46,000/- सत्रह लाख छियालीस हजार रुपया से

अधिक नहीं है।

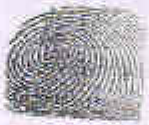

प्रभारी उप नियन्त्रक
नाप नियन्त्रक प्रधान
झांसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शेडयूल (B) आराजी [illegible] मौजा डडियापुरा ब्लाक बडागाँव परगना व जिला झाँसी जिसका खाता सं. 00158 आराजी नम्बर 175 रकवा 0.089 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 179 रकवा 0.045 हेक्टेयर व आराजी नं. 185/2 रकवा 0.040 हेक्टेयर व आराजी नं. 174 रकवा 0.186 हे0 कुल 4 किता रकवा 0.365 हेक्टेयर में से रकवा 0.329 हेक्टेयर अपना सम्पूर्ण हिस्सा हस्तान्तरित किया गया है। तबादलाशुदा आराजी में द्वितीय पक्ष का कोई अंश शेष नही रहा है। तबादलाशुदा आराजी सड़क से लगी हुई एव आबादी से 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत स्थित है। दस्तावेज हाजा के साथ तबादलाशुदा आराजी का नक्शा सलग्न है जिसमे तबादलाशुदा आराजी [illegible] रंग लाल से दर्शाये गये है, जो तबादलानामा (एक्सचेंज डीड) का अंश भाग है। तबादलाशुदा आराजी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नही है [illegible]

750

नि. भव विरोध

2,961,000.00	10,000.00	20	10,020.00	[illegible]
बाज़ार मूल्य	स्टाम्प ड्यूटी	रजिस्ट्रेशन फीस	पेज	[illegible]

[illegible]

प्रभारी उप निबंधक
उप निबंधक प्रथम

प्रथम पक्ष

श्री मनोज कुमार [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी 18 [illegible]
झांसी

द्वितीय पक्ष

श्री ललित मोहन [illegible]
पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी 165 [illegible]
झांसी

श्री [illegible] कुमार [illegible]
पुत्र श्री [illegible] कुमार [illegible]
[illegible]
झांसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

25000 पच्चीस हजार रुपये

25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

भूमि है। तबादलाशुदा आराजी मे कोई पेड़, कुआँ आदि नहीं है। तबादलाशुदा आराजी सफर सोर्हन स्थित है। तबादलाशुदा आराजी का नया लगान 5 रुपया 20 पैसा सालाना है। तबादलाशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। शड्यूल (B) मे वर्णित सम्पत्ति के मालिक श्री शश्य मंगलम रियलटर्स प्रा0लि0. 79 डी–4, विभव अपार्टमेन्ट न्यू आगरा जिला आगरा (द्वितीय पक्ष) है जो द्वितीय पक्ष ने जरिये बैनामा दिनांक 04-03-2008 ई0 श्री नत्थू पुत्र श्री लल्ला आदि से खरीद की थी। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झाँसी मे बही नं. 1 जिल्द सं. 3414 के पृष्ठ सं. 373/396 पर क्रमांक 801 दिनांक 04-03-2008 ई0 दर्ज है। उक्त आराजी मे अकृषक भूमि की घोषणा यू0पी0 जेड0ए0 एण्ड एल.आर. एक्ट की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है। तहसील सदर के राजस्व अभिलेखों में एवं झाँसी विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में भी तबादलाशुदा भूमि कृषिकीय भूमि के रूप मे दर्ज है। एवं वर्तमान में खेती हो रही है एवं विक्रयशुदा रकबा मे किसी भी प्रकार की आबादी नहीं है। यह कि उक्त आराजी को शश्य मंगलम रियलटर्स प्रा0लि0. 79 डी–4, विभव अपार्टमेन्ट, न्यू आगरा जिला आगरा क्रय किया था तब डायरेक्टर श्री रवि शर्मा पुत्र श्री रमाकान्त शर्मा थे, परन्तु दिनांक 08-07-2009 ई0 को कम्पनी की बोर्ड मीटिंग मे श्री ललित मोहन पराशर उपरोक्त की सम्पत्ति को कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप मे

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹ 25000

25000
पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

सम्पत्ती के नाम से भूमि का तबादला / क्रय / विक्रय करने के अधिकार अपने हस्ताक्षरों से प्रदान किये गये।

शेड्यूल (B) में वर्णित सम्पत्ति की श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य– 29,61,000/– उनतीस लाख इकसठ हजार रुपया से अधिक

नहीं है।

प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यगण नहीं है।

यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त शेड्यूल 'A' में वर्णित आराजी के सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील है जो कहीं बय हिबा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के वार किफालत से पाक साफ व बरी है तथा द्वितीय पक्ष उपरोक्त शेड्यूल 'B' में वर्णित आराजी का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील है जो कहीं बय हिबा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये INDIA TEN THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

[illegible] व बरी है उक्त दोनों आराजीयात आपस में [illegible] के और [illegible] निम्नलिखित नियमानुसार दस्तावेज शजा के जरिये किया जा रहा है। [illegible] पश्चात् अपनी-अपनी सुविधा को देखते हुए उक्त आराजी को इस प्रकार [illegible] है कि शेड्यूल 'A' में वर्णित आराजी रकबा 0.194 हेक्टेयर सम्पूर्ण [illegible] तारीख से द्वितीय पक्ष होंगे। इससे प्रथम पक्ष व उनके वारिसानों को कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा [illegible] भविष्य में कभी होगा। इसी तरह शेड्यूल 'B' में वर्णित आराजी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रकबा 0.329 हेक्टेयर सम्पूर्ण [illegible] आज की तारीख से [illegible]

[illegible] व उनकी [illegible] का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा और [illegible]

[illegible] इस [illegible] है [illegible] लिखित से द्वारा आराजी के [illegible]

[illegible] सरकारी कागजातों में [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कागजात करार्ड कर दिए रहिन करे गये हैं कि अब तो [illegible] से [illegible] [illegible] सी सम्बन्धित पक्ष का आराजी से कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आइन्दा [illegible] [illegible] सो [illegible] (तमायक्लामामा) तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे [illegible] पर [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(11)

कागजात [illegible] [illegible] [illegible] रहिन कर गया यह है कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
से सन्दर्भित पक्ष का आराजी से कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा होगा। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (तबादलानामा) तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे [illegible] [illegible]
पर काम आवे

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

दिनांक : [illegible]
प्रारूपकर्ता : पं० अखिलेश शर्मा, वसीका नवीस, तहसील [illegible]
[illegible]

Nand Kishor S/o Shri Gangacharan
Signature

पं० अखिलेश शर्मा
वसीका नवीस
तहसील व जिला-झाँसी
अनुज्ञप्ति संख्या-31
31/3/20[illegible] तक मान्य

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए ए

बाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

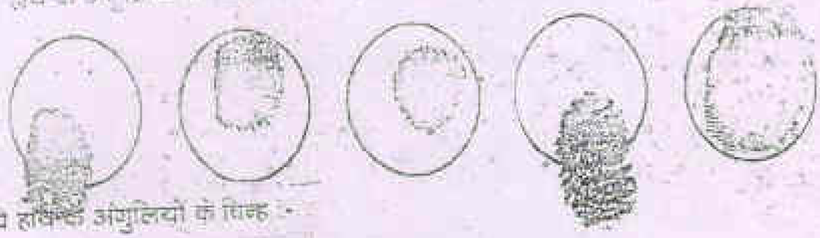

दाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता विक्रेता क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम ....

पता ....

बाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

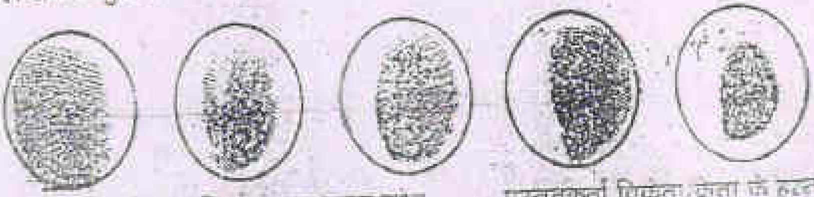

प्रस्तुतकर्ता विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

निष्पादक

निष्पादक

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए ए

के अन्तर्गत हेतु फिंगरप्रिंट [illegible]

दाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

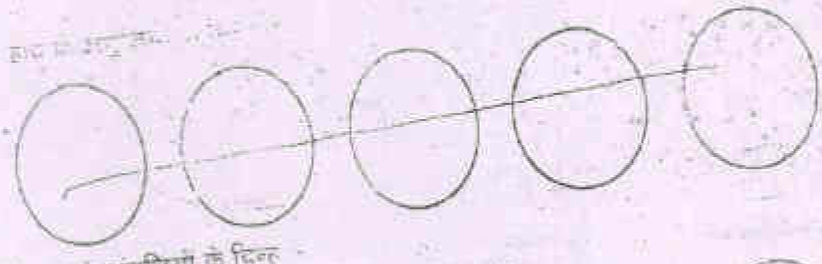

बाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

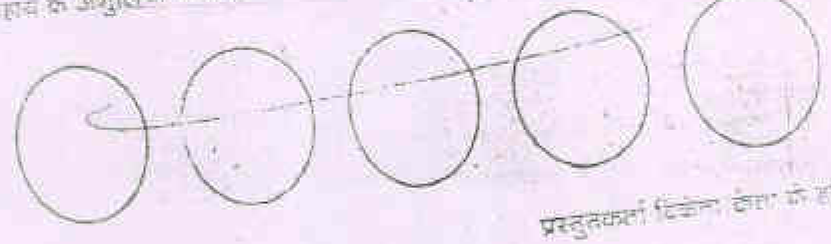

प्रस्तुतकर्ता विक्रेता क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम श्री ...... अमिता ओझा ......

पता..

दाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

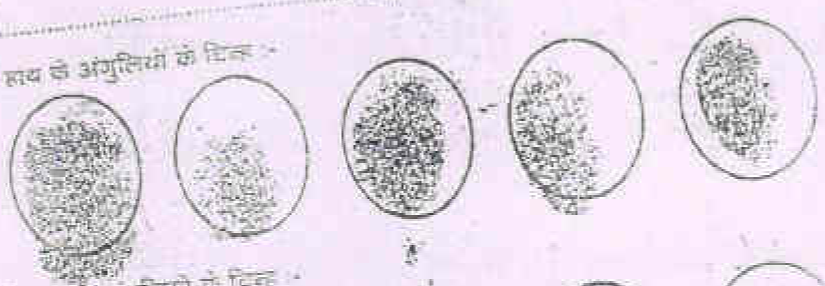

बाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

उप प्रधान निष्पादित [illegible] कार्यालय

हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

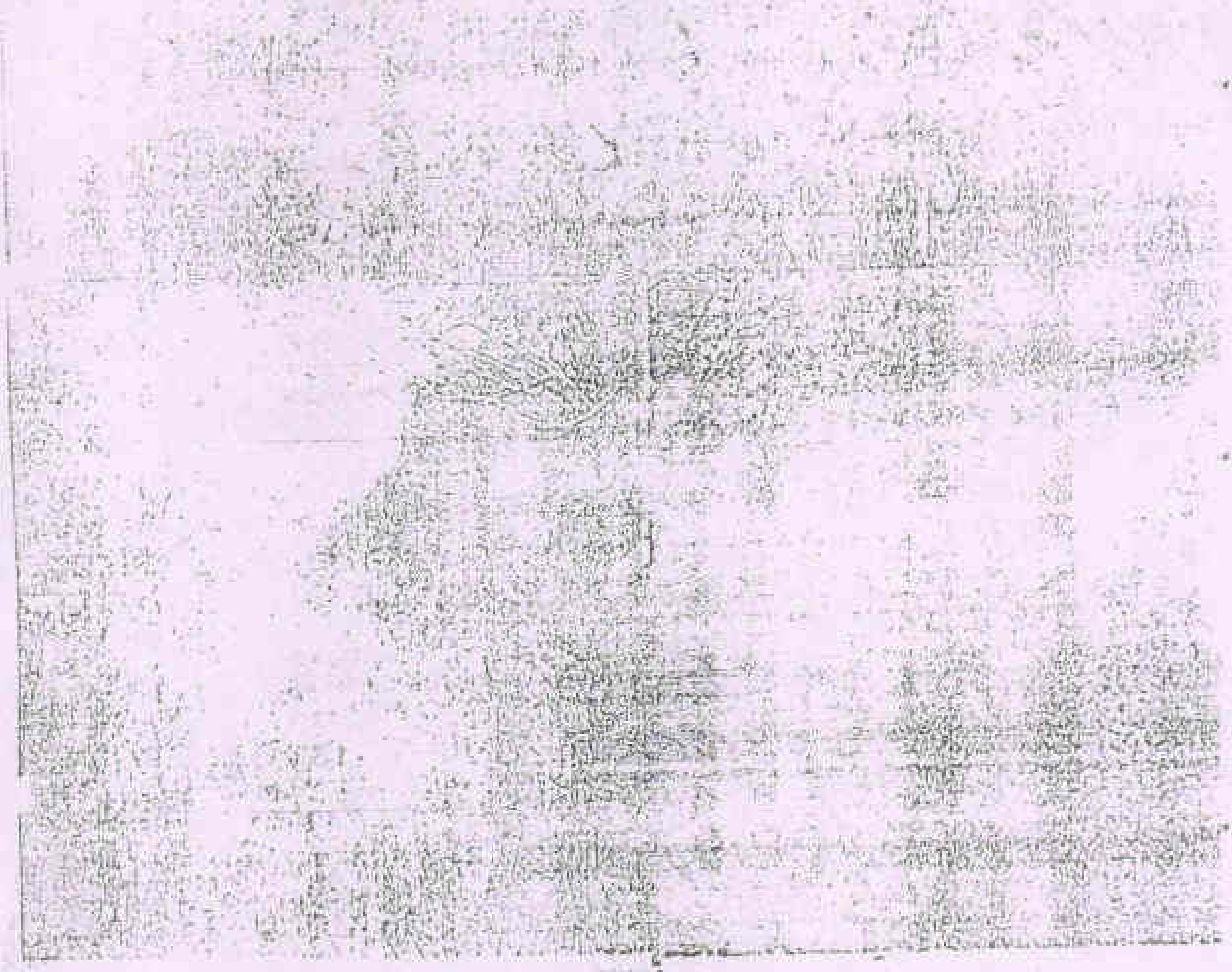

क्रमांक न:.......
रजि0 वास्ते

एक किता
स्थित
नाम विक्रेता
नाम क्रेता
चौहावी
पूर्व

नक्शा नजरी

३६५ / १६५, १६६, १८५/2

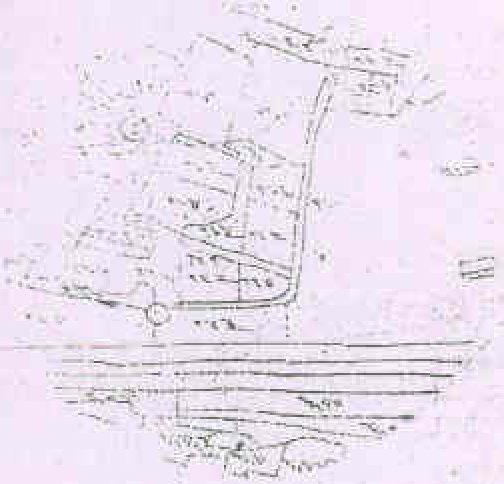

MOHD. KAMRAN
D/MAN (C
J. D. A., JHANS
OFF. - 19, AL
JHANSI

हस्ताक्षर विक्रेता

क्रेता